



जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला खनिज संस्थान न्याम, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, (छ.ग.)

कनेक्टेट परिमर

फोन - 07751221004 ईमेल - jpnadmfr@gmail.com

प्रशामकीय स्वीकृति आदेश

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही / दिनांक - 02/08/2023

क्रमांक - 230163033148

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्याम नियम, 2015 के नियम 12 के पहले अनुसूच (पैरा) में दिये गए प्रावधान के अनुसार गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिला खनिज संस्थान न्याम की शर्तों पर परिपट में अनुमोदन के प्रस्ताव में निम्नलिखित कार्य के लिए राशि रुपये 247,69,000.00 (मैतानी माघ उनहसर हजार 2) की प्रशामकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

प्रशामकीय स्वीकृति का विवरण

मुख्यतः परिमर स्थित मैदान में एडवेंचर ग्राउंड की स्थापना हेतु, विकासखण्ड - गौरेला।

अन्य प्राथमिक कार्य

युवा गतिविधियों को बढ़ावा / -

खनन प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के सामाजिक/शैक्षणिक/खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के प्रोत्साहन सम्बंधित कार्य।

300

कार्य की अवधि (दिनों में) -

कार्य स्वरूप

क्र.	कार्य स्वरूप	जिला	क्षेत्र	सहमीन/मरवाही निकाय	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम/वार्ड	विधानसभा
1	District Level	Gaurella Pendra Marwahi	-	-	-	-	-	मरवाही

स्वीकृत क्षेत्र की स्थिति-

तकनीकी स्वीकृति क्र. / दिनांक -

तकनीकी स्वीकृति की राशि -

प्रशामकीय स्वीकृति की राशि -

प्रायश्चित्त प्रभावित क्षेत्र की राशि -

कार्य एजेन्सी-

प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र

क्र. 4633/डी.एम.एफ./2023-24 / 06-07-2023

247,69,000.00 (मैतानी माघ उनहसर हजार 2)

247,69,000.00 (मैतानी माघ उनहसर हजार 2)

247,69,000.00 (मैतानी माघ उनहसर हजार 2)

महाबल आधुनिक आदिवासी विकास, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग गौरेला पेण्ड्रा मरवाही

(प्रथम किस्म के रूप में राशि रु. 219,07,600.00 (उन्नीस लाख साठ हजार छह सौ) प्रदान की जाती है)

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है:-

- 1- उक्त स्वीकृति कार्य के संबंध में कार्य एजेन्सी यह मुनिधिन करेगी कि यह कार्य अन्य किसी योजना में शामिल नहीं होने चाहिये। अन्य योजना में कार्य स्वीकृत होने की स्थिति में प्रशामकीय स्वीकृति स्वयंसेव निरस्त माना जाये।
- 2- कार्य एजेन्सी यह मुनिधिन करे कि इस योजना के तहत स्वीकृत फंड का पृथक्-पृथक् लेखा संभाल करे।
- 3- कार्य एजेन्सी राज्य के वित्तीय नियमों का एवं संबंधित विभाग के कार्य, नियमावली का पालन करते हुए कार्य संपन्न करेगा। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाये।
- 4- उक्त कार्य के निष्पादन हेतु कार्य एजेन्सी द्वारा आवश्यक सामग्री क्रय में आगमन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं क्रय नियमों का पालन अक्षरशः किया जाये। कार्य स्थल पर ग्राह्यजन अनिवार्यतः रखा जाये जिसमें प्रशामकीय स्वीकृति आदेश तकनीकी स्वीकृति आदि आवश्यक अभिलेख संलग्न रहे।
- 5- उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत ग्राह्यजन एवं नक्शे में दिये गये प्रावधान के आधार पर ही निर्माण कार्य संपन्न कराया जाये।
- 6- प्रशामकीय स्वीकृति उपरान्त ग्राह्यजन का मध्य अधिकारी के द्वारा तकनीकी स्वीकृति, नक्सा, खनन, सी- वन, एवं मसमल आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर एक प्रति इन कार्यालय में उपलब्ध कराये।
- 7- किसी भी माननीय न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित या कनभूमि/अवन का चयन न किया जाये। कार्य स्थल के खनने में निजी भूमि स्थान विवादित न हो। एनी स्थिति में प्रशामकीय स्वीकृति स्थान: निरस्त हो जायेगी।
- 8- अनुसूचित वर्गों के पूर्व यह मुनिधित कर लिया जाये कि किये गये कार्य की भाषा एवं दरे स्वीकृत ग्राह्यजन/अनुबंध अनुसार ही है।
- 9- किसी भी ऐसे भूद का गुणालन न किया जाये जो प्रतिबंधित है।
- 10- कार्य स्थल पर निरीक्षण पंजी/स्थलों का पंजीयन एवं थमिकों के लिए पेशजन व्यवस्था प्राथमिक उपचार के लिए किराई आवश्यकतानुसार छोटे बच्चों के लिए डार्ड व्यवस्था की जाये एवं निरीक्षण पंजी में कार्य स्वीकृति का चिह्नित विवरण होना चाहिए।
- 11- कार्य स्थल पर मुफ्त पटन नवाया जाये, जिसमें कार्य में संबंधित मंजूर विवरण जिसमें योजना का नाम, कार्य का नाम, ग्राम का नाम, स्वीकृत वर्ष, प्रशामकीय स्वीकृति राशि, कार्य प्रारंभ होने का दिनांक, कार्य पूर्ण होने का दिनांक, कार्य की मूल्यांकन राशि का रीएमएफ. का (logo) एवं छत्तीसगढ़ शासन का राजकीय चिह्न अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
- 12- स्वीकृत राशि में अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं किया जायेगा। अधिक व्यय के लिए संबंधित एजेन्सी स्वयं जिम्मेदार होगी।
- 13- किसी भी एवं नवीन किस्म की मांग हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र, निरीक्षण प्रतिवेदन, माप पृथिकी की छायाप्रति, Latitude और Longitude के फोटोग्राफ माप प्रस्तुत करना मुनिधित करे।
- 14- मजदूरी भुगतान minimum wages act, 1948 के प्रावधान अनुसार किया जाये।
- 15- कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य स्थल का छायाप्रति, कार्य का में आउट के दीर्घान, एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य स्थल का फोटोग्राफ/चिटियों उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जिसमें मजदूरी की कटौती कराया जा सके।
- 16- कार्य खनन 2024 तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य का फोटोग्राफ वचत की राशि योजना मुनिधित करे।
- 17- कार्य पूर्ण होने के पश्चात् परिमरपंजी पंजी में प्रविष्ट अनिवार्य रूप से किया जाये तथा कार्यों का निरीक्षण का विवरण पूर्वक में पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाये।
- 18- कार्य स्थल के पूर्व का छायाप्रति में-आउट का कनर फोटोग्राफ अनिवार्यतः इस कार्यालय को प्रस्तुत करने तथा नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त ही कार्य



कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

Email - actwd.gpm@gmail.com

दस्तावेज क्र - 07751 220658

क. / भण्डार / डीएमएफ / 2023-24 305
प्रति,

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 14/02/2024

Cute planet interiors
17/17 Nehru Nagar(E)
Bhilai, Dist. Durg (C.G.)

विषय - सामग्री क्रय आदेश।
संदर्भ - आपका कोटेशन दिनांक 12.02.2024

—00—

संदर्भित कोटेशन में दिये गये दर अनुसार जिले के बालक क्रीडा परिसर गुरुकुमल में आवश्यक खेल सामग्री स्थापना सहित हेतु निम्नलिखित सूची अनुसार सामग्री 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को निम्न विवरण अनुसार प्रदाय करने का कष्ट करें।

क.	सामग्री का नाम	संख्या	अन्य विवरण	कोटेशन अनुसार दर	कुल राशि
01	Parallel bar	1	—	95000.00	95000.00
02	Spring board	2	—	48500.00	97000.00
03	Crash maat	1	—	45000.00	45000.00
	योग -				2,37000.00

शर्तें :-

1. सामग्री का प्रदाय निविदा में प्रस्तुत विवरण के अनुसार समयावधि में कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही क्रीडा परिसर जिमनास्टीक हॉल में पहुंचाकर/स्थापना कर देना अनिवार्य होगा।
2. सामग्री कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के जिमनास्टीक हॉल में पहुंचाने पर पृथक से कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
3. प्रदाय सामग्री का सत्यापन जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किये जाने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही विभाग अपने सुविधा अनुसार करेगा।
4. समिति द्वारा सामग्री निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन में गुणवत्ता, मात्रा व स्पेसिफिकेशन में यदि किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो क्रय समिति को पूरा अधिकार होगा कि आपके द्वारा प्रदाय की गई सामग्री को अमान्य कर जारी क्रय आदेश बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा तथा प्रदायकर्ता फर्म अमान्य सामग्री 05 दिवस के भीतर कार्यालय से उठाव करेंगे, जिसके लिए किसी प्रकार का परिवहन व्यय पृथक से देय नहीं होगा।

(डॉ. ललित शुक्ला)

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास

जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

दिनांक 12/02/2024

Email - actwd.gpm@gmail.com

क्र. नमबर डीएमएफ 2023-24 344
पते

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 14/02/2024

Cute planet interiors
17-17 Nehru Nagar (C)
Bhilai, Dist. Durg (C.G.)

विषय - सामग्री का आदेश।
संदर्भ - आपका कोटेशन दिनांक 12.02.2024

---00---

संदर्भित कोटेशन में दिये गये दर अनुसार जिले के बालक क्रीडा परिसर गुरुकुमल में आवश्यक छल सामग्री स्थापना सहित हेतु निम्नलिखित सूची अनुसार सामग्री 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को निम्न विवरण अनुसार प्रदाय करने का कष्ट करे।

क.	सामग्री का नाम	संख्या	अन्य विवरण	कोटेशन अनुसार दर	कुल राशि
01	Matt 4"	20	साईज ^{1.78} मीटर 6×4 फिट	4350.00	87000.00
02	Roman ring & belt	2	—	35000.00	70000.00
03	Balancing beam	1	—	97000.00	97000.00
	योग -				2,54000.00

शर्त :-

- सामग्री का प्रदाय निविदा में प्रस्तुत विवरण के अनुसार समयावधि में कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही क्रीडा परिसर जिमनास्टीक हॉल में पहुंचाकर/स्थापना कर देना अनिवार्य होगा।
- सामग्री कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के जिमनास्टीक हॉल में पहुंचाने पर पृथक से कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
- प्रदाय सामग्री का सत्यापन जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किये जाने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही विभाग अपने सुविधा अनुसार करेगा।
- समिति द्वारा सामग्री निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन में गुणवत्ता, मात्रा व स्पेसिफिकेशन में यदि किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो क्रय समिति को पूरा अधिकार होगा कि आपके द्वारा प्रदाय की गई सामग्री को अमान्य कर जारी क्रय आदेश बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा तथा प्रदायकर्ता फर्म अमान्य सामग्री 05 दिवस के भीतर कार्यालय से उठाव करेगा, जिसके लिए किसी प्रकार का परिवहन व्यय पृथक से देय नहीं होगा।

(डॉ. ललित शुक्ला)

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास

जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)